तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज भवानी शंकर बनाम लो.सू.अ. (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 148/2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.09.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी भवानी शंकर, पता 122, तुलसीराम भवन, सूतरखाना के पास, माणक चौक जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.08.19 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी भूमि रूपान्तरण जोधपुर द्वारा जारी दिनांक 16.06.90 पट्टे में जारी संबंधित सम्पूर्ण पत्रावली की नकल, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1153 दिनांक 30.08.19 प्राप्त हुई, जिसमें जाहिर किया कि प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा, कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी श्री भवानी शंकर को इस कार्यालय के पत्र संख्या 1917 दिनांक 16.08.19 द्वारा सूचित किया गया कि आवेदन पत्र में वर्णित सूचना से संबंधित पत्रावली की तलाश की गई, परन्तु पत्रावली वर्ष 1999 की होने से उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा पत्रावली की तलाश की जा रही है। अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि प्रभारी अधिकारी न्यायिक शाखा को शीघ्र पत्रावली की तलाश कर सूचना भिजवाने को कहा गया। चूकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित न्यायिक शाखा में पत्रावली उपलब्ध नहीं हो रही है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) एवं प्रभारी अधिकारी न्यायिक शाखा, कार्यालय हाजा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना संबंधित रिकॉर्ड की तलाश कर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	